न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 129/2017 दायरा दिनांक : 12.09.2017

उनवान

1– नैनसिंह पिता भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– रामु बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– करण बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– सज्जन बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5– प्रेम बाई बेवा भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6– नारायण सिंह पिता भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7– निर्मला पुत्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगी लाल पिता हरि सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– कालू सिंह पिता मांगी लाल, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/2– सरदार सिंह पिता मांगी लाल, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/3– नारायण सिंह पिता मांगी लाल, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/4– तेजा बाई पुत्री मांगी लाल, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/5– बाली बाई पुत्री मांगी लाल, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– करण सिंह पिता शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1– कालू सिंह दत्तक पुत्र करण सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– परबत सिंह पिता शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– चन्दन सिंह पिता शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5– दुले सिंह पिता शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6– गुमान सिंह पिता शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7– भगवान सिंह पिता किशन सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

8– नारायण सिंह पिता पर्वत सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

9– राजस्थान जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.08.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या 153/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम धींगनी पटवार क्षेत्र गुराडिया झाला, तहसील गंगधार की विवादित आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा के मामले में अपीलांट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी पैतृक आराजी है, जो प्रस्तुत रेकार्ड से साबित था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात एवं साक्ष्य का समुचित अवलोकन किये बिना ही एवं तनकीयात कायम किये बिना ही घोषणा एवं बंटवारे का दावा खारिज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने यह साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है और वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के आधार पर अपीलांट 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित होकर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने के अधिकारी थे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक नहीं मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक

तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके कायम मुकामान भी नहीं बनाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों की सहमति के प्रकरण का लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। राजीनामे के अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.11.2020 को उपस्थित होंवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा